गत बारह माह के दौरान वस्तुओं के आयात और निर्यात में वृद्धि

108. डा. अबरार अहमद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले बारह महीनों के दौरान किन-किन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है और प्रत्येक मामले में यह वृद्धि कितनी-कितनी हुई है तथा इसी अवधि के दौरान किन-किन वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है और प्रत्येक मामले में इस वृद्धि की मात्रा कितनी-कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शांतिलाल पुरषोत्तमदास पटेल) : मुख्य वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर संकलित किये जाते हैं। तदनुसार एक विवरण पत्र संलग्न है जिसमें वर्ष 1989-90 और अप्रैल-सितम्बर, 1990 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मुख्य वस्तुओं के निर्यात तथा आयात में हुई निरन्तर वृद्धि दर्शायी गई है।

(देखिए परिशिष्ट 156, अनुपत्र सं० 3)

Settlement of cases of 1984 RIOT affected borrowers

109. SARDAR IAGJIT **SINGH** AURORA; Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the light of the order of 7-11-1989 issued by the Supreme Court' in the cases filed by the riot affected persons, the Reserve Bank of India had issued orders to other banks to review the credit facilities granted to the November, 1984 riot affected borrowers and decide the case of each loanee on merit and to afford such relief as may be reasonable;

(b) whether it is a fact that some banks have written off the amounts due from some borrowers where recoveries were not possible due to their inability to repay the loan;

(c) if so, what is the number of such cases and what is the amounts due which have been written off by these banks;

(d) what is the number of cases that are still pending for review 'for final set- tlement;

(e) if aot what are the reasons for not reviewing and deciding these cases; and

(f) whether any instructions have been issued to banks laying down time limit by -which the review cases are to be settled.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE. DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) Reserve Bank-of India (RBI) had in the light of the Supreme Court Order advised all the Scheduled Commercial Banks to make a review of the credit facilities granted to all the November, 1984 riot affected borrowers on merits and afford such relief as may be considered reasonable.

(b) and (c) RBI have reported that reports received from banks so far in Pursuance of their advice indicate that the banks have written off Rs. 96.32 lakhs in 860 cases.

(d) and (e) As per the reports rceived by RBI so far 947 cases of review were pending with banks. RBI are monitoring these cases with concerned banks.

(f) The banks were advised by Reserve Bank of India to complete the review by31st March, 1990.

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों को बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने के लिए व्यवस्था

110. डा. अबरार अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों को पिछले बारह महीनों के दौरान कोई बैंक

ऋण प्रदान किए गए हैं। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य की क्या स्थिति है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ बैंकों द्वारा किसी नीति का अनुपालन किया जाता है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) (क) और (ख) बैंक कमजोर वर्गों को तथा ऐसे लोगों के लिये जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं को निरन्तर आधार पर, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान देश में बैंकों ने (सहकारी समितियों सहित) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 33.51 लाख उधारकर्ताओं को 1,220.53 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है तथा राजस्थान के मामले में उसी अवधि के दौरान 1.6 लाख उधारकर्ताओं को 44.37 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्यिक बैंकों ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के अंतर्गत कमजोर वर्गों के ऋणकर्ताओं को सहायता प्रदान की है। दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश में कमजोर वर्गों से संबंधित 235.53 लाख उधारकर्ताओं को 8365.09 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। इसमें से राजस्थान में 9.8 लाख उधारकर्ताओं को 380.06 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया।

Evasion "I customs duty by importers

111. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister Of FINANCE be pleased to state:

(a) whether of late there has been an increase in the number of cases of eva sion of customs duty by the importers;

(b) if so, what is the number of such cases detected during the current year; and

(e) what steps have been token to chec* such evasion of customs duty?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINIS. TRY OF EXTERNAL AFFAIRS (DIGVIJAY SINGH): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

देश में कपड़े का उत्पादन

112. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता है तथा इस समय वास्तव में कितने मीटर कपड़े का उत्पादन होता है ;

(ख) कपड़े की मांग को ध्यान में रखते हुए 1990-91 के अन्त तक कपड़े का उत्पादन कितना होगा ; और

(ग) उक्त उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

वस्त्र तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकम देवनारायण यादव) : (क) वर्ष 1987 के लिए कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1990-91 के लिए कपड़े की आवश्यकता का अनुमान 13,570 मिलियन मीटर लगाया गया है। वर्ष 1990-91 के लिए कपड़े का अनुमानित उत्पादन 17,568 मिलियन मीटर है। देश में कपड़े के उत्पादन के कुछ भाग का प्रयोग निर्यातों के लिए और औद्योगिक फैब्रिकों के लिए भी किया जाता है।

(ख) खपत पैटर्न के आधार पर आठवीं योजना के लिए वस्त्र उद्योग पर कार्यदल ने वर्ष 1990-91 के अन्त तक कपड़े का उत्पादन 18,559 मिलियन मीटर होने का अनुमान लगाया है।

(ग) उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के के लिए खर्च होने वाली सही राशि इस तथ्य